

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1587/गोपनीय/2018
II-3-1/2018

जबलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2018

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 1535/गोपनीय/2018 दिनांक 13.12.2018 की सारणी के सरल क्र. 1,2,4,5,6,7,8,9 एवं 10, में आंशिक संशोधन करते हुये जहाँ तक उसका संबंध निम्न तालिका के स्तंभ दो में दर्शित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों से है, को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथा संशोधित) नियम 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत, सारणी में दर्शित तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वर्तमान में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 को उनके नामों के समक्ष सारणी के स्तम्भ तीन में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर स्तम्भ चार में दर्शाये गये पुनरीक्षित दिनांक से व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रूपये 33090-920-40450-1080-45850/- प्रदान करता है:

सारणी

क्र0	अधिकारी का नाम	पूर्व में व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रूपये 33090- 920- 40450 -1080- 45850/- प्रदान किये जाने का दिनांक	व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रूपये 33090-920-40450-1080-45850/- प्रदान किये जाने का पुनरीक्षित दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री अरूण सिंह	25-09-2012	01-01-2018
2.	श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा	01-10-2012	01-01-2018
3.	श्रीमती आरती धींगरा	21-07-2013	01-01-2018
4.	श्रीमती सपना भारती कतरोलिया	25-07-2013	01-01-2018
5.	श्री मनीष कुमार सिंह	31-07-2013	01-01-2018
6.	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी	21-07-2013	01-01-2018
7.	श्री सतीश वसुनिया	21-07-2013	01-01-2018
8.	श्री लक्ष्मण डोडवे	16-07-2013	01-01-2018
9.	श्री धन कुमार कुडोपा	23-07-2013	01-01-2018

संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी को, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में दर्शित दिनांक से व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रूपये 33090-920-40450 -1080-45850/- प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,



(अरविंद कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल


प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004 को सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश-ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
5.
 - 1 श्री अरूण सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, लवकुश नगर जिला छतरपुर,
 - 2 श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सांवेर जिला इन्दौर
 - 3 श्रीमती आरती धींगरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बागली जिला देवास
 - 4 श्रीमती सपना भारती कतरोलिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सैलाना जिला रतलाम,
 - 5 श्री मनीष कुमार सिंह, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, देवास,
 - 6 श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मुलताई जिला बैतूल
 - 7 श्री सतीश वसुनिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सिरमौर जिला रीवा,
 - 8 श्री लक्ष्मण डोडवे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, अलीराजपुर,
 - 9 श्री धन कुमार कुडोपा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, पाटन जिला जबलपुर,को सूचनार्थ अग्रेषित ।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर/इन्दौर/देवास/रतलाम/बैतूल/रीवा/अलीराजपुर/जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/(I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
8. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।


22/12/18

- 10 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 14 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


(अरविंद कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल